


नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर म.प्र.

क्रमांक 665 / स्था.-1 / 2019

दिनांक 13 / 03 / 2019

सूचना

इस सूचना के द्वारा डॉ. रोहिता गुप्ता, सहायक प्राध्यापक, पशुजैव प्रौद्योगिकी केन्द्र, जबलपुर को उनके द्वारा किये गये कदाचार के संबंध में दिनांक 27/02/2019 को आरोप पत्र निश्चित कर विश्वविद्यालय में उपलब्ध उनके पते पर ई-मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित किया गया, किन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक आरोप पत्र के संबंध में प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अनुशासनिक अधिकारी के पास विभागीय जांच संस्थित करने के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं है। अतः इस सूचना के माध्यम से डॉ. रोहिता गुप्ता को सूचित किया जाता है कि सक्षम अनुशासनिक अधिकारी द्वारा विभागीय जांच संस्थित करने हेतु आदेशित किया गया है। डॉ. रोहिता गुप्ता को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 25.03.2019 तक आवश्यक प्रपत्र प्राप्त करें। अन्यथा जांच अधिकारी डॉ. रोहिता गुप्ता के विरुद्ध विभागीय जांच में एकपक्षीय जांच करने के लिए स्वतंत्र होंगे।


कुलसचिव